दहेज प्रथा-समाज के लिए अभिशाप

*कु. रश्मि सोनी

दहेज निश्चय ही हमारे समाज का अभिशाप है। यह उस प्रवृत्ति का प्रतीक है जिसमें मनुष्य अपनी मनुष्यता भूलकर मनुष्य को वस्तु की तरह खरीद फरोख्त का साधन बनाता है। दहेज प्रथा समाप्त करने के लिए न जाने कितने शब्दों का व्यय किया जा रहा है। परन्तु दहेज प्रथा उत्तोत्तर बढ़ती जा रही है। इसका कारण यह है कि हम उपरी तौर से इसका विरोध अवश्य करते है परन्तु मूल रूप से समस्या का निदान नहीं करना चाहते। दहेज प्रथा की वीभस्यता ने न जाने कितनी स्त्रियों के प्राण लिये हैं और न जाने कितनी स्त्रियों का जीवन कंठकाकीर्ण बनाया है। आज भी परिवार मे लड़की का होना एक अभिशाप समझा जाता है। वह माता पिता के लिए बोझ के रूप मे रहती है और उसके विवाह की अनिवार्यता स्वीकार की जाती है। जबकि लड़के के साथ ऐसा कुछ नहीं है। यही कारण है कि लड़के वाले लड़की वालों की मजबूरियों का फायदा उठाते हैं और दहेज की मांग करते है। यदि लड़के और लड़की मे ऐसा कोई भेद नहीं किया जाये, उन्हें लड़को की तरह उच्च एवं तकनीकि शिक्षा दिलाकर आत्मनिर्भर बना दिया जाये तो बहुत कुछ दहेज की समस्या का निदान किया जा सकता है।

आज विवाह जैसी बातों मे भी हम प्रेम के बजाय व्यवसायिकता पर उतर आये हैं। इस व्यवस्था मे मनुष्य का जो चरित्र निर्मित हुआ है उसके कारण दहेज की प्रथा की विक्रालता नये नये आवरणों मे प्रकट हो रही है । कुछ लोग सीधे कुछ नहीं कहते। वे अपने चहरे पर आदर्श का मुखौटा ओढ़े रहते है। परन्तु दहेज लेने के लिए उनके इजाद किये गये तर्कों का सुनकर हक्का बक्का रह जाना पड़ता है । शिक्षित वर्ग जिससे दहेज प्रथा की समाप्ति की आशा थी अपने पाखण्ड को आचरण से इसे और बढ़ावा दे रहा है। जितना उच्च शिक्षित लड़का उतना ही अधिक दहेज। इसी मनोवृत्ति के लिए केवल लड़के वाले जिम्मेदार नहीं है। लड़की वाले लड़के वालों की दहेज लेने की मनोवृत्ति की निंदा करते हैं परन्तु वहीं अपने लड़के विवाह के वक्त दहेज की मांग करता है। अतः सम्पूर्ण सामाजिक व्यवस्था के परिवर्तन और मानवीय मूल्यों की स्थापना के बिना इस प्रकार की बुराईयां जड़ से समाप्त नहीं हो सकती।

1961 में दहेज निरोधक कानून नहीं आने के काफी वर्षों बाद 1986 में भारतीय दण्ड सहिंता मे संशोधन कर 304–बी और भारतीय साक्ष्य धारा 113–बी को लाया गया और इस तरह विवाहिता स्त्री की दहेज के लिए की जाने वाली हत्या को धारा 302 के तहत वर्णित हत्या से अलग करते हुए ''दहेज हत्या'' का रूप दे दिया गया है । दहेज हत्या के दायरे अपने में कई ऐसे आयाम समेटे हैं जो सामान्य हत्या के दायरे मे भी नहीं आते जैसे स्त्री अगर आत्महत्या भी करती है पर अभियोजन पक्ष यह साबित कर देता है कि उसे दहेज के लिए प्रताड़ित किया जा रहा था तो उसे दहेज हत्या माना जाता है । दूसरा यह कि इस घटना में सिर्फ वही जिम्मेदार नहीं माना जाता जो मुख्य भूमिका बल्कि घर मे रहते हुये सब कुछ होते देखता रहता है, वह भी सहअभियुक्त बन जाता है । कई बार वे भी सहअभियुक्त की भूमिका मे जाने जाते है जो घटना के वक्त घर से बाहर कहीं दूर होते है लेकिन साफ तौर पर देखा जाता है कि उन्होंने मृत्का को किसी भी प्रकार से प्रताड़ित किया था । स्वाभाविक तौर पर यह व्यापकता इसलिए प्रदान की गयी है ताकि समाज में शादी के बाद स्त्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके ।

उच्चतम न्यायालय ने भी दहेज प्रथा से निपटने के लिए केन्द्र और राज्य सरकारों को मई 2005 में प्रथम सप्ताह मे विशेष निर्देश जारी किये हैं । न्यायालय ने कहा है कि सरकारों को सरकारी नौकरी के इच्छुक युवकों से विवाह मे लिये गये दहेज का विवरण मांगना चाहिए और यह सुनिश्चित करना चाहिए कि यह सामान पत्नि के नाम पर किया गया या नहीं। राजस्थान मे तो पिछले वर्षों मे एक अधिसूचना जारी कर सरकारी कर्मचारियों के लिए दहेज नहीं लेने का घोषणा पत्र देना अनिवार्य किया जा चुका है। उच्चतम न्यायालय के निर्देशों से जाहिर है कि न्यायालय भी दहेज की समस्या से चिंतित है। यह विडम्बना हि है कि दहेज निषेध कानून बने 40 वर्ष से अधिक हो जाने के बावजूद दहेज की समस्या निरंतर विकट होती जा रही है। सामाजिक कुरीतियों का उन्मूलन केवल कानून बनाने और सरकारी डण्डे के बल पर नहीं हो सकता । जब तक लोगों की मानसिकता मे बदलाव नहीं आयेगा तब तक दहेज जैसी समस्याएं खत्म होने वाली नहीं है । इस समस्या के लिए वरपक्ष तो दोषी है ही लेकिन वधुपक्ष को भी ''क्लीन

* शोधछात्रा, बरकतउल्लाह, विश्वविद्यालय, भोपाल

चिट'' नहीं दी जा सकती है । यदि हर लड़की का पिता यह तय कर ले कि अपनी लड़की का विवाह ऐसे घर मे नहीं करेगा जहॉ दहेज मॉगा जाये तो समस्या अपने आप खत्म हो जायेगी। माता पिता को जिंदगी भर लड़की के दहेज के लिए धन इकटठा करने के बजाय उसकी शिक्षा पर खर्च करके उसे लायक बनाने पर ध्यान देना चाहिए । लडकी के माता पिता ऐसे लडके को ही पसंद करते हैं जो उच्च पदासीन हो या फिर अच्छा खाता—कमाता हो। मांग और आपूर्ति सिद्धांत हर जगह काम करता है। शादी के बाजार में ऐसे लडकों के भाव आसमान पर होते हैं इसलिए कई बार लडकी के माता अपनी क्षमता से अधिक दहेज देने को भी तैयार हो जाते हैं और उम्र भर दुख पाते हैं। वर पक्ष लालची हुआ तो विवाहित भी दुखी रहती है। जब तक समाज में यह मानसिक नहीं बदलेगी तब तक दहेज निषेध कानून भी बेअसर ही साबित होगा।

हमारी यह सबसे बढी विडम्बना है इस प्रगतिशीलता के युग में भी हम जातीय रूढियों और विंसगतियों से चिपके हुये हैं दहेज प्रथा निवारण के लडके लडकियों और उनके माता पिताओं आदि सभी को सहयोग देना चाहिये । उनमें जहां एक ओर मानवीय भावनाओं का विकास होना चाहिये वहीं दूसरी ओर अन्याय का विरोध करने की दृढता और संकल्प भी । दहेज रूपी महादानव के विनाश के लिए जाति दायरों को भी तोड दिया जाना चाहिये। यदि बिना दहेज अर्न्तजातीय विवाह होते हैं तो उन्हें प्रोत्साहन दिया जाना चाहिए। दहेज प्रथा किसी समाज के लिये गौर की वस्तु नहीं हो सकती । यह तेा समाज का वह कलंक है जो उसके सांस्कृतिक अवमूल्यन का घोतक है। हम वर्तमान सभ्यता की तड़क—भड़क में अपने आपको बहुत प्रगतिशील दिखाते हैं परंतु दहेज प्रथा हमारे मानसिक पतन की निशानी है । यदि हम गहराई से आत्ममंथन करने और मानवीय मूल्यों की प्रतिष्ठा के लिये दृढ़ संकल्पित हो तो इस समस्या की जड तक पहुंचा जा सकता है और उसके उन्मूलन के लिये प्रयत्न किया जा सकता है।

सन्दर्भ ग्रन्थ

1. आधुनिकता और महिला उत्पीडन – मान चन्द खण्डेला
2. मानवाधिकार और महिलाएं– राजबाला सिंह
3. महिलाएं, लैंगिक असमानता एवं अपराध – प्रज्ञा शर्मा
4. नारी चेतना और अपराध , पंचशील प्रकाशन फिल्म कालोनी जयपुर – एम.एम.अंसारी